परिशिष्ट–1

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 906 के प्रश्नांश (क) से संबंधित जानकारी

लघु वनोपज के संबंध में प्रश्नांश में पूछे गये अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधान निम्नानुसार हैः–

1. **मध्यप्रदेश वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969:–**
विनिर्दिष्ट वनोपज के व्यापार को विनियमित करने हेतु मध्यप्रदेश वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा 2(घ), (ठ) तथा धारा 5(ग) में प्रावधान हैं।
उक्त प्रावधानों के उल्लंघन में प्रयुक्त वाहन के राजसात का प्रावधान धारा 15 में, शास्ति का प्रावधान धारा 16 में एवं प्रशमन का प्रावधान धारा 19 में है। उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन हेतु वन अपराध प्रकरण दर्ज करने के लिये वन अधिकारी प्राधिकृत हैं।
2. **मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000:–**
मध्यप्रदेश राज्य में वनोपज के परिवहन हेतु अभिवहन पास के प्रावधान इन नियमों में दिये गये हैं।
3. **मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959:–**
मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 की उपधारा (3) के अंतर्गत वनोपज नियम निर्मित किये गये हैं। इसके अंतर्गत प्रावधान एवं प्रतिबंध समाहित किया गया है। इस नियम की धारा 4 में लघु वनोपज के प्रावधान एवं धारा 8 में कतिपय प्रतिबंध उल्लेखित हैं।
4. **संविधान की 11वीं अनुसूचीः–**
7. गौण वन उपज
5. **पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 एवं नियम, 2022 (पेसा कानून, 1996):–**
4. संविधान के भाग 9 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का विधान मण्डल, उक्त भाग के अधीन ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, जो निम्नलिखित विशिष्टियों में से किसी से असंगत हो, अर्थातः–
(ड) अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के दौरान, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कृत्य करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, राज्य विधान–मण्डल यह सुनिश्चित करेगा कि समुचित स्तर पर पंचायतों और ग्रामसभा को विनिर्दिष्ट रूप में निम्नलिखित प्रदान किया जाएः–
(ii) गौण वन उपज का स्वामित्व

मध्यप्रदेश पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 के नियम 25, 26 एवं 27 में गौण वनोपज का परम्परागत प्रबंधन, लघु वनोपज से अधिकार एवं ग्रामसभा के कर्तव्य दिये गये हैं, जो निम्नानुसार हैः–

(25) गौण वनोपज का परंपरागत प्रबंधनः–
(1) अनुसूचित वन क्षेत्रों में शासकीय वनों के संवहनीय एवं परंपरागत प्रबंधन हेतु ग्राम सभा द्वारा अपने सदस्यों में से वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति का गठन किया जा सकेगाः
परन्तु इसका आशय यह नहीं होगा कि वनभूमि ग्राम सभा/ग्राम पंचायत में निहित हो गई है।

(2) उक्त समिति गौण वनोपज के प्रबंधन हेतु एक सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार कर सकेगी एवं ग्राम सभा ऐसी योजना तैयार करने हेतु वन विभाग से परामर्श ले सकेगी।

(3) ग्राम सभा सूक्ष्म प्रबंध योजना के जरिए गौण वनोपज का समुचित दोहन तथा जैवविविधता व जैविक स्त्रोतों का रक्षण व संवर्धन कर सकेगी।

(4) गौण वनोपज की मात्रा सीमित होने की स्थिति में/ग्राम सभा परंपरा से गौण वनोपज संग्रहण करने वाले ग्रामीणों से भिन्न अन्य लोगों के लिए वनोपज का संग्रहण प्रतिबंधित अथवा चक्रीय व्यवस्था या आर्थिक रूप से कमजोर और भूमिहीन परिवार को संग्रहण करने के लिए अधिकृत कर सकेगी, किंतु ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जायेगा जिसका वनाधिकार धारकों के व्यक्तिगत या सामूहिक अधिकार पर विपरीत प्रभाव पड़े।

(5) गौण वनोपज का निपटान से आशय अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2012 के नियम 2(1)(घ) में वर्णित अनुसार होगा।

(26) **लघु वन उपज से संबंधित अधिकारः–**

(1) पारंपरिक रूप से लघु वनोपज का संग्रहण, स्वामित्व तथा प्रबंधन, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ग) अनुसार होगा।

(2) ग्राम सभा अपने क्षेत्र के भीतर स्वयं या नियम 25 के अधीन अंतर्गत गठित समिति या शासन द्वारा गठित किसी भी एजेंसी या समूह के माध्यम से गौण वनोपजों का संग्रहण एवं विपणन कर सकेगी।

(3) एक या एक से अधिक ग्राम सभा चाहे तो संयुक्त रूप से वन विभाग के परामर्श से वनोपज की खरीदी एवं बिक्री के लिए न्यूनतम मूल्य तय कर सकेगी। ग्राम सभा ऐसे न्यूनतम मूल्य पर क्रय तथा उसके निपटान की व्यवस्था वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति के माध्यम से करेगी।

(4) तेंदूपत्ते के संग्रहण एवं विपणन मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के माध्यम से कराया जाएगा, तथापि ग्राम सभा चाहें तो तेंदूपत्ते का संग्रहण एवं विपणन स्वयं कर सकेगी बशर्ते ग्राम सभा इस बाबत् संबंधित संग्रहण वर्ष के पूर्व वर्ष में 31 जुलाई तक इस हेतु संकल्प पारित कर ग्राम पंचायत के माध्यम से वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को अवगत करवायें।

(27) **ग्राम सभा के कर्तव्यः**–ग्राम सभा निम्न कर्तव्यों का निर्वहन करेगीः–

(1) ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में स्थित वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(झ) तथा धारा 5 के अनुसार ग्राम सभा की होगी।

(2) ग्राम सभा वन संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन उसके द्वारा गठित वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति के माध्यम से करेगी। इस हेतु ग्रामसभा द्वारा आवेदन करने पर शासन के सभी विभाग सहायता करेंगे।

(3) ग्राम सभा परिवार और सामुदायिक जरूरतों जैसे निस्तार, चराई, जलावन, कृषि उपकरण बनाने के लिए सूखी और मरी हुई लकड़ी, बांस तथा पारंपरिक संस्कार में लगने वाले पदार्थों के आवश्यकतानुसार वन से निकालने के लिए व्यवस्था करेगी।

(4) प्रत्येक ग्राम सभा अथवा ग्राम सभा समूह अपने–अपने क्षेत्रों में अपने सदस्यों के हितों, वनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन, पर्यावरण में सुधार और स्थानीय रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से उपयुक्त कार्यक्रम बनाएगी।

6. <u>अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006:–</u>

वन अधिकार कानून, 2006 "अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासियों के (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" के नाम से अधिसूचित है।

"धारा–2–परिभाषाऐं

(झ) "गौण वन उत्पाद"–के अंतर्गत पादप मूल के सभी गैर इमारती वनोत्पाद हैं, जिनमें बांस, झाड़झंखड़, ठूंठ, बैंत, तुसार, कोया, शहद, गोम, लाख, तेन्दू या केन्दू पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी–बूटियां, मूल कंद और इसी प्रकार के उत्पाद सम्मिलित हैं।

(ढ) "सतत उपयोग" का वही अर्थ होगा, जो जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (ण) में है;

धारा–3–वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति, और अन्य परम्परागत वनों में निवास करने वालों के अधिकार:–

(1) इस अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि पर रहने वाली अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन में रहने वाले व्यक्ति या समुदाय या दोनों को निम्न वन अधिकार होंगे:–

(ग) ग्राम से या ग्राम के बाहर से वह लघु वन उपज, जो वे परम्परागत रूप संग्रहित करते आ रहे हैं, संग्रहण करने या उस तक पहुंचने या उस पर मालिकाना अधिकार रखने उसको उपयोग में लाने का अधिकार

धारा–5–वन अधिकारों के धारकों के कर्तव्य:–

ग्रामसभा और ग्राम स्तर की संस्थायें निम्नलिखित के लिये सशक्त हैं:–

(क) वन्यजीव, वन और जैव विविधता का संरक्षण

(घ) यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने और ऐसे किसी क्रियाकलाप को रोकने के लिये, जो वन्यजीव, वन और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ग्रामसभा में लिये गये विनिश्चयों का पालन किया जाता है।

12/12/22

(सी.के. पाटिल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)
म.प्र., भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्ष 3)
मंत्रालय, भोपाल